



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-20052025-263232
CG-TL-E-20052025-263232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2175]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947

No. 2175]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

सिकंदराबाद, 14 मई, 2025

का.आ. 2229(अ).—भारत सरकार, रेल मंत्रालय की अधिसूचना, जो एस.ओ. 384 (अ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उपधारा (ii) दिनांकित 22 जनवरी 2025 को “तेलंगाना राज्य के हनुमाकोंडा जिला में स्थित समपार फाटक के स्थान पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण” के संबंध में प्रकाशित हुई थी, में रेल मंत्रालय एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धिपत्र तैयार करता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	इस रूप में प्रकाशित	इस प्रकार पढ़ा जाए
1	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के एस.ओ.384(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क) , दिनांकित 22 जनवरी 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “नाशिकल और पिनडियाल में किमी 313/24-26 पर समपार फाटक सं. 54 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के वारंगल जिला में भूमि अधिग्रहण हेतु	केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के एस.ओ.384(अ) के अंतर्गत धारा 2 के खंड (37 क) , दिनांकित 22 जनवरी 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “नाशिकल और पिनडियाल में किमी 313/24-26 पर समपार फाटक सं. 54 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण” को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के हनुमाकोंडा जिला में भूमि

आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.	अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है.
--	--

[फा. सं. RSP/SC/Gazette /37A/LC.54 /SC-KZJ/SC/Corrigendum/01]

मनोज कुमार, मुख्य इंजीनियर/नि/आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

CORRIGENDUM

Secunderabad, the 14th May, 2025

S.O. 2229(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Railways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) Dated 22nd January 2025 vide S.O. 384(E) regarding “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossings in the District of Hanumakonda, in the of State of Telangana” the Ministry of Railways hereby makes the following corrigendum as detailed below:

Sl.No.	Published as	To be read as
1	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 dated 22nd January 2025 vide S.O. 384(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 54 at Km. 313/24-26 in between Nashikal and Pindial stations " as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telanagana in the District of Warangal for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.	In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 dated 22nd January 2025 vide S.O. 384(E) of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby notifies “Construction of Road Over Bridge in lieu of Level Crossing No. 54 at Km. 313/24-26 in between Nashikal and Pindial stations " as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Telanagana in the District of Hanumakonda for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. RSP/SC/Gazette /37A/LC.54 /SC-KZJ/SC/Corrigendum/01]

MANOJ KUMAR, Chief Engineer/C/RSP